



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना कोतवाली शहर

दिनांक – 08.07.2025

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने मु0अ0सं0 546/25 धारा 137(2)/64 बीएनएस व धारा 3/4
पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 24.06.2025 को वादी ने थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी कि अभियुक्त फईम पुत्र साकू निवासी ग्राम झकडी बंगर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर उसकी पुत्री को बहला-फुसला कर अपने साथ ले गया है । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 546/25 धारा 87 बीएनएस पंजीकृत किया गया । विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान उपरोक्त अभियोग में धारा 87 बीएनएस का लोप किया गया तथा धारा 137(2)/64 बीएनएस व धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी ।



कार्यवाही –

आज दिनांक 08.07.2025 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त फईम पुत्र साकू निवासी ग्राम झकडी बंगर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

फईम पुत्र साकू निवासी ग्राम झकडी बंगर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 तेजवीर सिंह थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
- 2.हे0का0 524 विपिन कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर



**जनपद बिजनौर
प्रेस नोट— थाना हल्दौर**

दिनांक 08.07.2025

थाना हल्दौर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 178/25 धारा 137(2)/64(1) बीएनएस व 3/4 पोक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 07.07.2025 को वादी ने थाना हल्दौर पर तहरीर दी कि अज्ञात युवक द्वारा वादी की पुत्री को बहला फुसलाकर ले जाया गया। तहरीर के आधार पर थाना हल्दौर पर मु0अ0सं0 178/25 धारा 137(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में अभियुक्त शाहनवाज पुत्र नाजिम निवासी मौ0 न्यू फ्रैन्ड्स कॉलोनी तोलावाला कस्बा व थाना हल्दौर जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश में आया। दिनांक 07.07.2025 को थाना हल्दौर पुलिस द्वारा अपर्हता को बरामद किया गया तथा अभियोग में धारा 64(1) बीएनएस व 3/4 पोक्सो अधिनियम की वृद्धि की गयी।



कार्यवाही—

आज दिनांक 08.07.2025 को थाना हल्दौर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त शाहनवाज पुत्र नाजिम निवासी मौ0 न्यू फ्रैन्ड्स कॉलोनी तोलावाला कस्बा व थाना हल्दौर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता—

1. शाहनवाज पुत्र नाजिम निवासी मौ0 न्यू फ्रैन्ड्स कॉलोनी तोलावाला कस्बा व थाना हल्दौर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—

1. उ0नि0 श्रीपाल सिंह थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।
2. आरक्षी 2561 निर्दोष थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।
3. महिला आरक्षी 927 अन्नू थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना मंडावली

दिनांक 08/07/2025

थाना मंडावली पुलिस ने मु0अ0सं0 80/25 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2)/316(2)/61(2)/352/351(2) बीएनएस में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 28.06.2025 को वादी ने थाना मंडावली पर तहरीर दी कि अभियुक्त मौ0 आसिम जलाल सहित 04 नामितगण द्वारा धोखादड़ी करते हुए कूटरचित दस्तावेज तैयार कर बैनामा कराने के नाम पर वादी से 08,70,000 रुपये तथा अन्य 13 व्यक्तियों से 60,78,000 रुपये हड़प लिये गए तथा पैसे वापस मांगने पर पैसे वापस न देकर गाली गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मंडावली पर मु0अ0सं0 80/25 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2)/316(2)/61(2)/352/351(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।



नोट- उपरोक्त अभियोग में दिनांक 29.06.2025 को थाना मंडावली पुलिस द्वारा मौ0 आसिम जलाल पुत्र कासिम निवासी मौहल्ला हसनपुरा बसी थाना किरतपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।

कार्यवाही विवरण-

आज दिनांक 08/07/2025 को थाना मंडावली पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त शावेज पुत्र मौ0 असलम निवासी मौ0 राईयान कस्बा जलालाबाद थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया है तथा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- अभियुक्त शावेज उपरोक्त थाना मंडावली पर पंजीकृत मु0अ0सं0-78/2025 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2)/316(2)/352/351(2) बी0एन0एस0 व मु0अ0सं0-81/2025 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2)/316(2)/351(2) बी0एन0एस में भी वांछित था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

शावेज पुत्र मौ0 असलम निवासी मौ0 राईयान कस्बा जलालाबाद थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

आपराधिक इतिहास गिरफ्तार अभियुक्त शावेज उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0-74/2025 धारा 316(2)/351(2) बीएनएस थाना मंडावली जनपद बिजनौर
2. मु0अ0सं0-78/2025 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2)/316(2)/352/351(2) बी0एन0एस0 थाना मंडावली जनपद बिजनौर
3. मु0अ0सं0-81/2025 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2)/316(2)/351(2) बी0एन0एस थाना मंडावली जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. उ0नि0 श्री संजय कुमार थाना मंडावली जनपद बिजनौर
2. हे0का0 80 दीपक थाना मंडावली जनपद बिजनौर
3. का0 249 मोनू थाना मंडावली जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट- यातायात पुलिस

दिनांक 08.07.2025

कांवड़ यात्रा से पूर्व सड़क सुरक्षा को लेकर यातायात पुलिस का जागरूकता अभियान चलाया गया

आज दिनांक 08.07.2025 को यातायात पुलिस जनपद बिजनौर एवं भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) के सहयोग से जनपद में बिना रिफ्लेक्टर टेप के संचालित हो रहे ट्रैक्टर-ट्रॉली, ट्रक आदि भारी वाहनों पर संयुक्त अभियान चलाया गया। अभियान के अंतर्गत ऐसे वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाए गए, जिससे कांवड़ यात्रा के दौरान सड़क दुर्घटनाओं की संभावना को न्यूनतम किया जा सके।

यह अभियान भविष्य में भी लगातार जारी रहेगा। इस पहल के अंतर्गत यातायात पुलिस जनपद बिजनौर द्वारा भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) के सहयोग से गांव-गांव जाकर ट्रैक्टर-ट्रॉली, ट्रक आदि वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाए जाएंगे।

